सं0-3125/62-2-2014-2/3(09)/2014

प्रेषक,

डा0 सूर्य प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 04 दिसम्बर,2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त तथा व्यय किये किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-574/ल0सिं0/बजट-आयोजने0/2014-15, दिनांक 29-09-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में कुल प्राविधानित धनराशि `-25.00 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि `-8.33 लाख (रूपया आठ लाख तैतीस हजार मात्र) को घटाने/समायोजित करने के उपरांत अवशेष धनराशि `-16.67 लाख के सापेक्ष तीन अदद सुपरवाजरी वाहन रिप्लेसमेन्ट के आधार पर क्रय हेतु (एक अदद टाटा मांजा एल0एक्स0बी0एस0-4 अनुमानित मूल्य `-6.26 लाख+दो बोलेरो एल0एक्स0 जीप बी0एस0-4 अनुमानित मूल्य `-11.34=17.60) में पूर्व से उपलब्ध धनराशि `-3.06 लाख को घटाने/समायोजित करने के उपरांत अवशेष धनराशि `-14.54 लाख को अवमुक्त किये जाने तथा धनराशि (`-6.26+11.34+(पूर्व क्रय हेतु दी गयी अनुमति के अतिरिक्त धनराशि `-0.13)=17.73) लाख को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर किया जाय।

(2) वाहन क्रय के संबंध में लघु उघोग विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वाहन प्रतिस्थापन के संबंध में संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार वाहन क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-मद-14-मोटर गाडियों का क्रय"** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श/सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

ह0/

(डा0 सूर्य प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव।

सं0-3125(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in